



मूर्चना एवं जनसम्पर्क विभाग, विकास

प्रेस विज्ञाप्ति

संख्या—cm-270
05/06/2018

प्रशासनिक तंत्र जितना बेहतर, प्रभावशाली और सक्षम ढंग से काम करेगा लोगों का भरोसा और बढ़ेगा :— मुख्यमंत्री

पटना, 05 जून 2018 :— मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज अधिवेशन भवन में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के दो वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का दो वर्ष पूर्ण हुआ है। कार्यक्रम के दौरान इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। चित्र प्रदर्शनी में विभिन्न जिले के मामले को भी प्रदर्शित किया गया है। चार परिवादियों ने इस अधिनियम के संबंध में अपने अनुभव साझा किए हैं। बिहार प्रशासनिक सुधार की दिशा में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम एक प्रभावी कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 2011 को प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लोक सेवा का अधिकार का कानून लागू किया गया। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र सहित कई प्रकार की सेवाओं के लिए लोगों को जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल तक लगातार चक्कर काटना पड़ता था लेकिन जब से बिहार लोक सेवा के कानून को लागू किया गया, तब से लोगों को इसमें सहुलियत हुई। सेवा यात्रा के दौरान लोक सेवा अधिकार कानून केंद्र पर जाकर इसका निरीक्षण किया और जिलाधिकारी को इसमें गड़बड़ करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। इस कानून के तहत दी जा रही सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ। मई 2018 तक 18 करोड़ 81 लाख लोगों को लोक सेवा अधिकार कानून के तहत सेवा प्रदत्त की गई। लोक सेवा का अधिकार कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक राज्य के अधिकारीगण आए। कर्नाटक के भी मंत्री आए और अपने राज्य में इसको लागू किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर 2005 में सत्ता संभालने के बाद से ही वर्ष 2006 से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू किया। प्रशासन तंत्र निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के सभी अधिकारी जनता के दरबार कार्यक्रम में हर सप्ताह के निर्धारित दिन को शामिल होते थे। सप्ताह में सोमवार का दिन जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिये निर्धारित किया गया था। लगभग 8—9 वर्षों तक इस कार्यक्रम को लगातार चलाया गया। इस दौरान मैंने यह अनुभव किया कि लोगों की शिकायत का कुछ हद तक तो समाधान तो हो रहा है लेकिन शिकायत के निवारण की गारंटी नहीं थी। हमने लोगों की शिकायत का अपने अधिकारियों से अध्ययन कराया तो देखा कि इसमें 40 प्रतिशत के आस पास ही निराकरण हो रहा था। तब मन में यह बात आयी कि इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए और अंततः 05 जून 2016 से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित कर लोगों को अपनी शिकायतों के निवारण का कानूनी अधिकार दिया गया। इस कानून के तहत 04

क्षेत्रों को अलग रखा गया, जिसमें सूचना के अधिकार के अंतर्गत आने वाले विषय, सरकारी सेवा संबंधी सेवा से जुड़े मामले, लोक सेवा अधिकार कानून के अंतर्गत जुड़े विषय, न्यायपालिका में चल रहे मामले शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की नियुक्ति के साथ—साथ तकनीक की जरूरत को पूरा किया गया। साथ ही अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए ट्रेनिंग की व्यवस्था तथा अन्य जानकारी राज्य के हर स्तर के अधिकारी को दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला एवं अनुमंडल स्तरीय शिकायत केंद्रों पर निश्चय यात्रा के दौरान हमने यह जानकारी प्राप्त की कि कितने दिनों में मामलों की सुनवायी हो रही है, किस प्रकार के मामले ज्यादा आ रहे हैं। उसके संबंध में मैंने जो सुझाव दिया उसका इससे जुड़े अधिकारियों ने अनुपालन किया। तंत्र को बेहतर बनाने एवं समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर काम किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में वैसे लोगों को जिम्मेवारी दी जाए, जिनकी इसमें सचमुच रुचि हो। इस पद पर रहते हुए पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ काम करने से प्रशासनिक अनुभव में वृद्धि होगी, दक्षता आएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में इस कानून के आने से एक बहुत बड़ा काम हुआ है। प्रशासनिक तंत्र जितना सुदृढ़ होगा लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा। समस्याओं के समाधान होते रहने से लोगों में संतोष का भाव आएगा। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दो वर्ष में 3 लाख 25 हजार लोगों ने आवेदन दिया है। लोगों को प्रचार के माध्यम से ठीक ढंग से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी दी जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। क्षेत्रीय शब्दों में और सहज भाषा में लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। सफल परिवादियों के द्वारा आपबीती अनुभवों को लोगों के बीच में बताया जाना चाहिए। गांव, टोला मोहल्ला तक यह काम सिलसिलेवार चलते रहना चाहिए। टीवी, समाचार पत्रों, सोशल मीडिया का उपयोग कर इस कानून के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि ज्यादातर मामले भूमि विवाद एवं पुलिस विभाग से संबंधित हैं। 35 से 40 प्रतिशत मामले भूमि विवाद से संबंधित हैं। भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए सर्वे सेटेलमेंट का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन का रसीद, गलत बिजली बिल, राशन कार्ड जैसी अनेक समस्याओं का समाधान इस कानून के द्वारा किया गया। इन सब चीजों से लोगों के मन में संतोष का भाव पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों का निराकरण तो किया ही जा रहा है लेकिन यह विश्लेषण करने की जरूरत है कि शिकायत की नौबत ही नहीं आए। इसके लिए विभागों के सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। विश्लेषण कर आंतरिक व्यवस्था को सुधारना होगा। हमारी ऐसी कोशिश हो कि लोगों की कम से कम शिकायतें हो। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तंत्र जितना बेहतर, प्रभावशाली और सक्षम ढंग से काम करेगा लोगों का भरोसा और बढ़ेगा।

समारोह को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, प्रधान सचिव गृह एवं सामान्य प्रशासन श्री आमिर सुबहानी ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री कै०एस० द्विवेदी, विकास आयुक्त श्री शशि शेखर शर्मा, अध्यक्ष राजस्व पर्षद श्री सुनील कुमार सिंह, विभागीय जांच आयुक्त श्री सुभाष

शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री का स्वागत गृह एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री आमिर सुबहानी ने पुष्प-गुच्छ एवं बोनसाई का पौधा भेंटकर किया। मुख्यमंत्री ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रचार-प्रसार एवं जन जागरूकता हेतु 'जन समाधान रथ' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के सफल मामलों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन एवं अवलोकन किया।

कार्यक्रम में अपर मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी डॉ० प्रतिमा वर्मा द्वारा पी०पी०टी० के माध्यम से "प्रभावी निवारण का सफर" विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की विशिष्टियों एवं अन्य बिंदुओं को समावेशित कर तैयार की गई पुस्तिका का मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विमोचन किया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के विभिन्न पहलओं एवं प्रभाव का क्षेत्र में जाकर अध्ययन एवं विश्लेषण करने के लिए पटना स्थित डेवलेपमेंट इस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक, बिरला इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन शाखा-पटना के निदेशक, चंद्रगुप्त इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक के साथ प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन श्री आमिर सुबहानी के बीच मुख्यमंत्री के समक्ष एम०ओ०य० पर हस्ताक्षर किया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन एवं सफलता पर आधारित एक लघु फ़िल्म का प्रदर्शन भी किया गया। अधिनियम के प्रभाव एवं इससे मिल रही राहत एवं सुविधा के संबंध में सफल परिवादी बांका के श्री अवनीकांत, किशनगंज के श्री राकेश कुमार बसाक, पटना जिला के मनेर की श्रीमती कांति देवी, शिवहर के श्री प्रमोद कुमार रजक ने अपने-अपने अनुभव को साझा किया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, शिवहर के श्री मनन राम, बांका के श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, किशनगंज के श्री यशस्पति मिश्रा, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक अधिकारी श्री मनोरंजन कुमार, श्री कुमार विजेंद्र, श्री सतीश रंजन सिन्हा को मुख्यमंत्री ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधेपुरा सदर के राजेश झा राजा, वीरपुर (सुपौल) के सुशील कुमार, दानापुर (पटना) के सुरंजिता सिन्हा, बेनीपुर (दरभंगा) के श्री दीपक कुमार साह, टिकारी (गया) के श्री कृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह को उप मुख्यमंत्री ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आई०टी० की पूरी टीम को मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार ने सम्मानित किया।
